



उ०प्र० सरकार का उपक्रम

# दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

CIN: U31200UP2003SGC027460

पत्रांक—

/ प्र०नि० / का०प्र० / अ०अ०-१ / सहा०अभि०-०३

दिनांक— /०८/२०१६

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा अधोनामित सहायक अभियन्ता को निगमहित में प्रशासनिक आधार पर स्तम्भ सं०-३ में उल्लिखित उनके वर्तमान तैनाती के कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर अग्रेत्तर तैनाती हेतु स्तम्भ सं०-४ में उल्लिखित इकाई/स्थान को आवंटित किया जाता है:-

क्र०सं०	सहायक अभियन्ता का नाम (अभि०सं०) (गृह जनपद)	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	स्थानान्तरण के पश्चात् आवंटित इकाई
१	२	३	४
१	श्री विशम्बर सिंह (९२१२१) (अलीगढ़)	सहायक अभियन्ता (भण्डार) विद्युत भण्डार केन्द्र, इटावा अधीन विद्युत भण्डार खण्ड, कानपुर	मुख्य अभियन्ता (वितरण) कानपुर क्षेत्र, कानपुर

१. उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं० ७९/१९९७ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक २१.०३.२००७ में निहित निर्देशों के अनुरूप है।
२. स्थानान्तरित अधिकारी को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा के, स्थानीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यमुक्त किया जायेगा।
३. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे स्थानान्तरित अधिकारी की कार्यमुक्ति तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं० ५९१०/गोपनीय/पाकालि/(०६)/२००६, दिनांक ११.०६.२००१ के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या पर अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करेंगे।
४. उक्त अधिकारी को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता एवं पदभार ग्रहणकाल नियमानुसार देय होगा।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक— ८५४७ / प्र०नि० / का०प्र० / तददिनांक ३१ / ०८ / २०१६

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
२. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा० / वित्त / तकनीकी / वाणिज्य) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
३. मुख्य अभियन्ता (वितरण) दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, कानपुर क्षेत्र, कानपुर।
४. अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ ऑफिसर, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा।
५. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, आगरा।
६. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, कानपुर।
७. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
८. उप सचिव (अ०प्र०-०३/०४) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
९. सम्बन्धित अधिकारी।
१०. पी०एफ० / कट फाइल / प्रबन्ध निदेशक (कैम्प)।

  
(अशाक कैम्प)

अधिशासी अभियन्ता (प्रशा०-१)